

22/1/24

प्रायत्न कर पेश हुई।

अपीलकर्ता के द्वारा उपरोक्त कालिका के
इस न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखते हेतु कोर्ट में
गोपी प्रिया गुप्ता से बाद लामील प्राप्त हुआ है। आज
अपीलकर्ता कागु है। अपीलकर्ता काकवड लामील कागु
रहे के कारण यह माना जाता है कि उसे सूचना
प्राप्त हो गई है तथा उसके बारे में अपीलकर्ता के
दुखनी नहीं कहना है। इसी स्थिति में सूचना
उपलब्ध करा दिए जाने से इस अपील के संदर्भ में
किसी प्रकार की कोषाधी कोषित नहीं होने से
यह अपील इसी स्तर या निर्दिष्ट की जाती है।
प्रायत्न शुभा (समल) की जाफा इस
न्यायालय से नमवा से कम हो।

↓
जिला कलेक्टर, बाली

[Faint, mostly illegible text and stamps, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

